न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0

राजस्व प्रकरण संख्याः– **69/2011** दायर तारीख 29.09.2011

अनवान

1. गोपालसिंह पिता भोपालसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी मकरेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. हिम्मतसिंह पिता महेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी मकरेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. शक्ति सिंह पिता महेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी मकरेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

...........वादीगण

बनाम

1. रघुवीरसिह पिता गोरधनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. शिवराजसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. रामसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. मोहनसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. भंवरकंवर पत्नि गोरधनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (मृतक नाम हटाया गया)
6. पारसकंवर पुत्री गोरधनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
7. गीताकंवर पुत्री गोरधनसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
8. दुर्गेशसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
9. मोतीसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
10. कुलदीपसिंह पिता नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
11. तेजसिंह पिता नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
12. भंवरकंवर पत्नि नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
13. खेमकंवर पत्नि पृथ्वीसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
14. उच्छब कंवर पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आट तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
15. राजेन्द्र पिता त्रिलोकचन्द जाति चोधरी उम्र बालिग निवासी मैन सेक्टर 28 शास्त्रीनगर भीलवाडा
16. सुनिल कुमार पिता त्रिलोकचन्द जाति चोधरी उम्र बालिग निवासी मैन सेक्टर 28 शास्त्रीनगर भीलवाडा
17. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलियां

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री दिनेश चन्द तम्बोली अधिवक्ता वादीगण
श्री जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता प्रतिवादीगण न. 15,16

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक :– 28.03.2019

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आट प0ह0 रेसून्दा तहसील बिजौलिया में स्थित वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती खाते व कब्जे काश्त में आराजी नम्बर 146 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 147 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 148 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 153 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 154 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 155 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 156 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 157 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 158 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 159 रकबा 7 बीघा , आराजी नम्बर 164 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 165 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 259 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 261 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 262 रकबा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 263 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 264 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 369 रकबा 3 बीघा **कुल किता 18 रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा** स्थित है। भोपालसिंह की मृत्यु हो गई है जिनके दो पुत्र गोपालसिंह महेन्द्रसिंह है। महेन्द्रसिंह की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी हिम्मतसिंह शक्तिसिंह है। पृथ्वीसिंह किशोरसिंहजी के पुत्र होकर भेरूसिंह के गोद गये उनकी मृत्यु हो चुकी है उनके कोई जायन्दा पुत्र नहीं है। गोरधनसिंह की मृत्यु हो चुकी है उनके उत्तराधिकारी राजेन्द्रसिंह, रघुवीरसिंह, शिवराजसिंह, नरेन्द्रसिंह, रामसिंह, मोहनसिंह, भंवरकंवर, पारसकंवर, गीताकंवर है। राजेन्द्रसिंह की मृत्यु हो गयी है उनके उत्तराधिकारी दुर्गेशसिंह मोतीसिंह है। नरेन्द्रसिंह की मृत्यु हो चुकी है उनके उत्तराधिकारी कुलदीपसिंह, तेजसिंह, भंवरकंवर है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/3 हक हिस्सा हैं प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 13, 14 खेमकंवर उच्छबकंवर ने एक वादपत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 54 सन 2004 होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 13–05–2008 को निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। खेमकंवर व उच्छबकंवर द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण एवम दिगर प्रतिवादीगण फरिक मुकदमा नही थे। खेमकंवर उच्छबकंवर ने अपने वादपत्र में गलत, असत्य मिथ्या तथ्यों का उल्लेख कर न्यायालय को गुमराह कर निर्णय व डिक्री पारित करवायी है जो वादीगण के मुकाबले शून्य व अवैध है।

वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का 1/3 हक हिस्सा होते हुए भी खेमकंवर व उच्छबकंवर ने न्यायालय को गुमराह कर भूमि अपने नाम करवा ली जबकि उक्त भूमि पुश्तेनी है। वादीगण का 1/3 हिस्सा एवम प्रतिवादी संख्या 1से 12 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादीया खेम कंवर व उच्छब कंवर ने बिना वादीगण व दिगर प्रतिवादीगण को फरिक मुकदमा बनाये वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर नाजायज लाभ प्राप्त करने की गरज से उक्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 15 राजेन्द्र प्रतिवादी संख्या 16 सुनिल को विक्रय कर विक्रयपत्र का पंजीयन करवा दिया एवम नामान्तकरण संख्या 413 दिनांक 10–08–2009 से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 15, 16 के नाम दर्ज करवा दी गयी। उक्त विक्रयपत्र प्रारम्भ से शून्य होकर अवैध है। हाल ही दिनांक 23–08–2011 को प्रतिवादीगण 15,16 मौके पर आये व जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण काविज होकर काश्त करने आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 15, 16 का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण को तलवी जरिये सम्मन मय नकल भेज करवाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलिया जि. भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 15, 16 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र धाकड ने अधिकार पत्र मय जबाव प्रस्तुत किया शेष प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला गैरहाजिर रहने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रतिवादीगण ने अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाव मे अंकित किया कि ग्राम आंट में वादग्रस्त भूमि स्थित होना स्वीकार है, किन्तु यह कथन सर्वथा असत्य, मनगढंत अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 का शामलाती खाता व कब्जा, काश्त रहा हो या वर्तमान में हो। उक्त आराजियात से वादीगण का कोई वास्ता नहीं है और न ही कभी कब्जा काश्त रहा है। पारिवारिक सजरा से जवाबदाता प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु गोवर्धनसिंह के पुत्र सजरे में रणवीरसिंह को बताया गया है, जबकि वादपत्र के अनवान में प्रतिवादी सं0 1 के रूप में रघुवीरसिंह अंकित किया गया है, शेष सजरा के सत्यापन का वादपत्र से कोई सम्बन्ध न होकर उसे सिद्ध कराने की जवाबदारी वादीगण पर है। विवादित भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा नहीं है और न ही प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 का कभी 1/3 हिस्सा रहा है। समस्त आराजियात अकेले भैरूसिह पिता बख्तावरसिंहजी की आराजियात थी, जिसमें किशोरसिंहजी या उनके पुत्रों वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 का कोई हक हिस्सा व कब्जा नहीं रहा है। भैरूसिंहजी के दत्तक पुत्र पृथ्वीसिंहजी थे और विवादित आराजियात पृथ्वीसिंहजी के ही कब्जे काश्त, उपयोग में रही, जिनके देहावसान के उपरांत उनकी बेवा खेम कंवर व पुत्री उच्छब कंवर(प्रतिवादी सं0 13 व 14)के स्वामित्व व उपयोग उपभोग में चली आ रही थी। स्व0 गोवर्धनसिंहजी का उक्त आराजियात से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा। स्व0 पृथ्वीसिंहजी के उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं0 13 व 14 रहे। कभी भी पृथ्वीसिंह ने गोवर्धनसिंह को अपना उत्तराधिकारी या गोदपुत्र घोषित नहीं किया था। राजस्व रेकार्ड में बिना किसी निर्णय व आधार के गोवर्धनसिंहजी ने वादग्रस्त आराजियात में अपना नाम दर्ज रेकार्ड करवा लिया था, जिसके विरूद्ध प्रकरण सं0 5 सन् 2004 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ पेश होकर निर्णय दिनांक 13–05–2008 को प्रतिवादी सं0 13 व 14 के पक्ष में पारित हुआ तथा विवादित आराजियात खेम कंवर व उच्छब कंवर की घोषित की गयी। उक्त निर्णय अपील राजस्व अपील अधिकारीजी, भीलवाडा के यहां से भी बहाल रहा। चूंकि विवादित आराजी में किशोरसिंहजी, भोपालसिंहजी व गोवर्धनसिंहजी का कभी कोई हक, हिस्सा, स्वामित्व नहीं रहा और जमाबंदी सम्वत 2010 लगायत 2013 जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया, तब भी उक्त आराजी स्व0 पृथ्वीसिंहजी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज खाता थी, इस कारण वादीगण किस आधार पर उक्त आराजी में अपने आपको खातेदार काश्तकार अंकित कर रहे है, इस चरण में वर्णित नहीं कर कोई आधार नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार यह वादपत्र घोषणात्मक डिक्री बाबत आधारहीन व बेबुनियाद पेश कर वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का 1/3 हक व हिस्सा उक्त भूमि में किसी कदर नहीं है और न ही विवादित आराजियात पुश्तैनी है। खेम कंवर व उच्छब कंवर ने न्यायालय को कतई गुमराह नहीं किया है। पुश्तैनी आराजियात के बाबत कोई राजस्व रेकार्ड वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। मौखिक रूप से यह अंकित कर देना कि विवादित आराजियात पुश्तैनी है, दस्तावेजी रेकार्ड के मुकाबले यह कथन कतई चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादिया खेम कंवर व उच्छब कंवर ने अपने वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 को पक्षकार नहीं बना डिक्री प्राप्त की है, जो विधि संगत है, क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 12 का वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में अपने पूर्वजों के समय से कोई हक, अधिकार नहीं था। इसके अलावा गोवर्धनसिंह पिता किशोरसिंह को पक्षकार बनाकर डिक्री प्राप्त की गई है, क्योंकि पृथ्वीसिंहजी की मृत्यु के बाद गोवर्धनसिहंजी ने अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी को बिना किसी आधार के दर्ज रेकार्ड करवाया है, जिनके विरूद्ध ही निर्णय व डिक्री प्राप्त करनी थी। वादीगण व इनके पिता भोपालसिंह पिता किशोरसिंहजी का राजस्व रेकार्ड में व मौके पर कोई दखल व एतराज नहीं रहा था, इस कारण खेम कंवर व उच्छब कंवर ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर डिक्री प्राप्त की है। प्रतिवादी सं0 13 व 14 द्वारा सक्षम न्यायालय से निर्णय एवं डिक्री प्राप्त करने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में पालना की जाकर समस्त आराजियात जवाबदाता प्रतिवादी सं0 15 व 16 को विक्रय की गयी है, जिसकी पालना में

लगातार पेज संख्या 04 पर

Scanned by CamScanner

विवादित आराजियात जवाबदातागण के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गयी। यह विक्रयपत्र किसी प्रकार से शून्य व अवैध नहीं है, बल्कि जवाबदातागण प्रतिवादी सं0 15 व 16 सद्भाविक क्रेता होकर विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। दिनांक 23–08–2011 का अंकन वादीगण ने गलत व मनगढन्त अंकित किया है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं होकर किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है और न ही भविष्य में प्राप्त होने की कोई संभावना व आधार है। इस प्रकार वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जवाबदातागण सद्भाविक क्रेता होकर खातेदार काश्तकार होने के कारण उनके विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किये जाने योग्य वादपत्र न होकर काबिल खारिजी के है।

वादी ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये–

ग्राम रेसून्दा की वादग्रस्त भूमि की नकल जमाबंदी सम्वत 2033 पृथ्वीसिंह, जमाबंदी सम्वत खाता स0 46 सम्वत 2042 से 2045, जमाबंदी ग्राम रेसून्दा सम्वत 2062 से 2065, मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्णय व डिक्री दिनांक 13–05–2008 प्रस्तुत किये हैं।

वादपत्र एवं प्रतिवादपत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया कि ग्राम आंट में स्थित आराजी नम्बर 146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 259, 261, 262, 263, 264, 369 कुल किता 18 रकबा 42 बीघा 19 बिस्वा भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न0 1 से 12 तक का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न0 13 से 14 तक का 1/3 हिस्सा है। वादीगण का 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है।
2. आया कि विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2009 प्रारभं से शून्य होकर अवैध है। .....जिम्मे वादीगण
3. आया कि पारिवारिक सजरा से प्रतिवादीगण का सम्बन्ध नहीं है। .....जिम्मे वादीगण
4. आया कि पृथ्वीसिंह ने गोवर्धनसिंह को अपना उत्तराधिकारी अथवा गोदपुत्र घोषित नहीं किया। .....जिम्मे प्रतिवादीगण
5. आया कि प्रतिवादी न0 13, 14 सद्भावी केता है। वादीगण को वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ है। .....जिम्मे प्रतिवादीगण

साक्ष्यवादी में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से दिनांक 03.05.2018 को साक्ष्यवादी प्रस्तुत करनने का अवसर समाप्त किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी किसी प्रकार की मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से शहादत प्रतिवादी बंद की गयी।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की सुनी गयी

अधिवक्तावादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से वर्णन करते हुए वादपत्र को प्रस्तुत रेकॉर्ड के आधार पर डिक्री किये जाने की मांग की।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी जबाव में अंकित तथ्यों का विस्तार से वर्णन करते हुए वादपत्र को खारिज किये जाने की मांग की है।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।

मामले में वादीगण/प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य के प्रस्तुत नहीं होने से तनकीवार विवेचन नही किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ताण की बहस पर मनन किया।

वादीगण पृथ्वीसिहं की भूमि से हिस्सा चाहते है। प्रश्नगत भूमि में अपना 1/3 हिस्सा बता रहे है। यह 1/3 हिस्सा कैसे है इस संबन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किये है। उपखण्ड कार्यालय माण्डलगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13–5–2008 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 व 14 को खातेदार

लगातार पेज संख्या 05 पर

Scanned by CamScanner

घोषित किया गया। यह निर्णय अपीलीय है। अतः इसको विचारणीय न्यायालय द्वारा नहीं बदला जा सकता।

प्रतिवादी संख्या 15 व 16 ने पंजीकृत विक्रय द्वारा भूमि की खरीद की है। यह पंजीकृत दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार आज दिनांक तक भी प्रभावी है अतः इसे शून्य व अवैध घोषित नही किया जा सकता। प्रस्तुत वादपत्र वादी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रकरण में वादीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत वाद को प्रदर्श कराये जाने बाबत् किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। इसी प्रकार प्रतिवादी ने भी जवाब में अंकित तथ्यों को साक्ष्य से प्रदर्श नहीं कराया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना बहन करें।

आदेश आज दिनांक 28–03–2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner